न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 35 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रिय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी, वन मण्डल झुन्झुनूं।

—प्रार्थी / आवेदक

— बनाम —

1. चोथमल पुत्र मटरूमल जाति माली साकिन आस—पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़, सीकर हाल निवासी भैंरूघाट, बागौरा उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी।

—रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 वास्ते निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितिः—

1. क्षेत्रिय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी———————— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनोहर लाल सैनी, एडवोकेट ————————अप्रार्थी नं01 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————— ————अप्रार्थी नं0 2 की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 11.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—पटवार हल्का बागौरा में जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 में खसरा नं0 261 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा जो मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

गैर मुमकिन पहाड़ तथा पहाड़िया दर्ज थी। जिसमें से राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेश दिनांक 06 फरवरी,1958 एवं राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या 1 (6) (19) 197 राज 18/73 दिनांक 21.06.1973 से खसरा नंबर पुराना 261 जुज रकबा 41 बीघा 11 विस्वा वन विभाग के नाम गजट नोटिफाइड हुई। इसके बाद सम्वत 2035 से 2044 के दौरान भू–प्रबंध बंदोबस्त की कार्यवही चलकर पुराने खसरा नंबर के जो नये खसरा नंबर 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर आवटित किये गये। उक्त नये रकबे में भी पुराने खसरा नंबर 262 मी. 259 मी. 260 मी. का हिस्सा है। खसरा नंबर 215, 218 व 219 सम्मिलित है। जो कि गजट नोटीफाइड भूमि में स्थित है व सीमा स्तम्भ लगे हुये हैं। ग्राम बागोरा की भूमि खसरा नंबर पुराना 261 रकबा 42 बीघा 19 विस्वा किस्म पहाड़ तथा पहाड़िया सम्वत 2029 से 2032 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसका स्वामित्व वास्तविक रूप से राजस्थान सरकार के पास रहा है। सम्वत 2033 से 2036 की जमाबंदी में खसरा 261 मी. बनाया जाकर भूमि का प्रकार बारानी द्वितीय किया जाकर 15 बीघा भूमि श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा को आवंटित की गई। उसके बाद नये सैटलमेंट द्वारा बनाई गई मिसल के आधार बनी आधार चौसाला जमाबंदी सम्वत 2045 में खसरा नंबर नया 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर बानी दोयम दर्ज की गई है। जो कि पुराने खसरा नंबर 261 का हिस्सा है। जिसमें खातेदरी श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा के नाम दर्ज हो गई जो गलत दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन लिपिकीय गलती होने से उपरोक्त भूमि श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा के नाम दर्ज हो गई। खसरा नंबर 1293/364 का 3.55 हैक्टर भूमि गत खसरा नंबर 261 जुज को अधिसूचित वन भूमि का है। गत व वर्तमान शीट का एनेक्जर संलग्न है। तदोपरान्त नामांतरण संख 345 दिनांक 16 जनवरी 2008 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार जाति स्वामी निवासी बबाई के नाम से स्वीकार हुई जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरण संख्या 396 दिनांक 26 नवम्बर 2010 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा श्री कुबेर सिंह पुत्र नत्थू सिंह कोम राजपूत साकिन उदयपुरवाटी के नाम से नामांतरण स्वीकार हुआ जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरण संख्या 453 दिनांक 05 नवम्बर 2011 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा मेजर नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री श्यामसिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह जाति राजपूत वैशाली नगर जयपुर के नाम से स्वीकार हुआ जो

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 592 दिनांक 12 सितम्बर 2013 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा श्री चोथमल पुत्र मटरूमल जाति माली साकिन आस–पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड सीकर के नाम दर्ज हुई जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज रिकार्ड होकर वर्तमान तक बदस्तूर है। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार निर्देश जारी किये हैं कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी अधि सूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आवंटन /रूपान्तरण करें जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। राज्य परिपत्र दिनांक 23 मई 2012 से ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी के विवादित खसरा नंबर 1293/364 के संबंध में स्पष्ट किया है कि अवैध आवेदन के आधार पर प्रदत्त खातेदारी जो वर्जित श्रेणी की भूमि पर प्रदान की गई है, को निरस्त करावे। उक्त प्रकरण में भूमि खसरा नंबर 293/364 की 3.80 हैक्टर भूमि किस्म गैर मु0 पहाड़ कृषि भूमि आवंटित की गई है, जो भूमि वर्जित श्रेणी की वन भूमि है तथा अधिसूचित भी है। इसका 3.55 हैक्टर भाग अधिसूचित रक्षित वन भूमि है। वन्य जीव सुरक्षा अधि0 1972 जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11014/3172 एफआरवाई/डब्ल्यू एल.एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान सरकार पर लागू है। राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक प. 3 (16) वन/2009 दिनांक 9 फरवरी 2012 से उक्त क्षेत्र को रिजर्व घोषित किया जा चुका है। आवंटन कमेटी ने बात विचार–विमर्श कर निर्णय किया है कि उपरोक्त भूमि उपलब्ध भूमि उक्त प्रार्थीयों को निम्न प्रकार आवंटन कर दी जावे। आवंटन आदेश गैर मुम0 भूमि की किस्म बदलने के प्श्चात व जंगलात की भूमि जंगलात नियमों से मुक्त कर दिये जाने के प्श्चात जारी करने की सिफारीश की जानी थी। जो कि आवंटन की मुख्य थी जिसकी पालना नहीं की गई,ये आवंटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। आवंटन आदेश के विरूद्ध कार्यवाही के लिये मियाद लागू नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि यह राजस्व रिकार्ड में उसके नाम भूमि दर्ज है, इसलिए इस पर कब्जा करके कास्त करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के लिये रोक लगायी है। यदि वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हैं तो केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.1996 एवं वन संरक्षण अधि0 1980 की प्रति संलग्न है। इसी तरह के प्रकरण में माननीय हरित प्राधिकरण Central Zonal Bench Bhopal के ओ.ए. संख्या 131/2014 रामस्वरूप यादव

48
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.02.2015 को निर्णय दिया गया । इस निर्णय के अनुसार वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन होने के पश्चात वन अधि 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) के तहत डीनोटिफिकेशन की कार्यवाही आवश्यक है। उपरोक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किये गये आवंटन में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) की प्रकिया का पालन नहीं की गई । राजस्व अधिकारियों द्वारा वन भूमि का आवंटन करना एवं औधोगिक प्रयोजनार्थ कनवर्जन करना माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 वन्य जीव अधि 1972 एवं वन संरक्षण अधि 1980 का उल्लंघन एवं आपराधिक कृत्य है। झुंझुनू जिल की भूमि बीड़ झुंझुनू के संबंध में जिला कलेक्टर झुंझुनू के द्वारा एक बार वन भूमि को आवंटन करने के पश्चात दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करना गलत माना है और अपने निर्णय दिनांक 30.5.2002 में वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। इसी प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 28.2.2006 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। ऐसे ही प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 24.2.2011 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। अतः ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के मूल खसरा नंबर 261 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा गैर मु0 पहाड़ में से नये खसरा नंबर 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर में से 3.55 हैक्टर अधिसूचित रक्षित वन भूमि में किये गये आवंटन आदेश एवं उसके प्श्चात किये गये अन्य राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज को निरस्त कर दुरूस्त कर वन विभाग की टेनेन्सी में दर्ज करना फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई।

अप्रार्थी चोथमल की ओर से श्री मनोहरलाल सैनी, एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा जाहिर किया कि – भूमि पुराना खसरा नं0 261 रकबा 15 बीघा थे जिसके पश्चातवृति प्रकरम पर उक्त भूमि के खसरा नं0 1293 रकबा 3.80 हैक्टर का खातेदार काश्तकार हजारी लाल पुत्र मोहन लाल है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिये गये जो राजस्व रिकार्ड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद का है। उक्त कानून के अनुसार जो खातेदार उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय भूमि काश्त करता था वह उक्त भूमि

98
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

का स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। कानूनन रिकार्डेड काश्तकार खातेदार को उसकी भूमि से प्राप्त होने वाले लाभो से वंचित नही किया जा सकता आवेदक वन विभाग की ओर से बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये तथा बिना इस बात की जानकारी किये कि उक्त भूमि के पूर्व से कौन कौन काश्तकार खातेदार रहे है। तथा किस प्रकार उक्त भूमि का अन्तरण हुआ है। पूर्णतया अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर वर्तमान आवेदन पत्र पेश किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुँझुनूँ द्वारा नोटिस के सलग्न एनेक्सर – 1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को कानूनी प्रकिया अपनाते हुये आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किये जाने से पूर्व तथा आवेदक के अधिकार में आने से पूर्व ही आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियो को आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवटंन किये जाने के कारण अब उक्त भूमि के आवटन को निरस्त करवाने का आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त भूमि खसरा नं0 261 को शुरू से ही उसके खातेदार हजारी लाल पुत्र मोहन लाल व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर उक्त हजारी लाल पुत्र मोहन लाल का कब्जा काश्त ही चला आ रहा था तथा उनसे पूर्व उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था उक्त भूमि कभी गै0 मु0 पहाड़ की भूमि नही रही है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। उपरोक्तानुसार उक्त भूमि का इन्तकाल भूमिहीन हजारी लाल पुत्र मोहन लाल के नाम हुआ है तथा पश्चातवृति राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि खसरा नं0 1293/364 हजारी लाल पुत्र मोहन लाल के दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2062 से सम्वत् 2065 तक है। उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्तकाल नं0 345 दिनांक 16/1/08 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार निवासी बबाई के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार के नाम दर्ज है।

जिला कलेक्टर
झुंझुनू

और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। हजारी लाल ने उक्त भूमि सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार को दिनांक 30/6/06 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 30/6/06 को लिखवाकर उसका पंजियन दिनांक 30/6/06 को उपपजियक उदयपुरवाटी के यहा करवा दिया। कानूनन भी किसी विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की मियाद 3 वर्ष की होती है। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 30/6/06 को निष्पादित हुये अर्सा करीब 13 वर्ष हो गया है इतने लम्बी अवधी के बाद भी उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 396 दिनांक 26/11/10 को उक्त भूमि कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह कोम राजपुत निवासी उदयपुरवाटी के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। जिसका विक्रय पत्र दिनांकित 1/1/10 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहा तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 453 दिनांक 5/11/11 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह, जाति राजपुत निवासी वैशाली नगर जयपुर के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 592 दिनांक 12/09/13 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में उक्त भूमि चौथमल पुत्र मटरूमल के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में औद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके अलावा उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समरिवर्तन आदेश दिनांक 23/9/16 के तहत चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर के नाम आद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन केसर हेतु) हुआ है। उक्त समरिवर्तन आदेश दिनांक 23/9/16 के विरूध कोई भी अपील वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक वनविभाग की ओर से आज तक नही की गई है। समरिवर्तन आदेश दिनांक 24/7/1992 के विरूध अपील न करने की स्थिति में आवेदक का वर्तमान आवेदन पत्र किसी प्रकार से पौषणीय नही है। इसके अलावा तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा किया गया और उक्त भूमि का सीमाकंन खातेदारान की मौजूदगी में व वनविभाग के अधिकारी व वन विभाग के हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया और उक्त भूमि को वन विभाग की नही माना गया। इसके अलावा बाद में सहायक वन सरक्षक झुझुनूँ द्वारा दिनांक 13/11/18 को एक नोटिस अनावेदक को जारी किया गया जिसमें गलत तौर से उक्त भूमि को वन भूमि होना बताकर अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया जिसका प्रयाप्त समुचित जबाब मय दस्तावेज के दिया गया जिससे संतुष्ट होकर व मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग झुँझुनूँ द्वारा उक्त भूमि को अपने आदेश दिनांक 24/1/19 के तहत वन विभाग की नही माना जिसके विरूद्ध भी वर्तमान आवेदक ने कोई अपील नही की इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक को वर्तमान आवेदन पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उक्त भूमि पुराने समय से ही इसके खातेदार व काश्तकारान के कब्जे में रही है तथा वन विभाग का कभी कोई कब्जा नही रहा है। पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि विक्रय, अनतरित हस्तान्तरति व समपरिर्वतित हुई जिसके विरूध भी कोई भी अपील या चाराजोही वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक द्वारा

48
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

कभी नही की गई तथा उक्त आवंटन के विरूध भी अन्दर मियाद कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा नही की गई है। स्वयं आवेदक ने जो पूर्व में 91 का नोटिस अनावेदक को दिया था जिसका निस्तारण करते हुये उन्होने उक्त भूमि वन विभाग की नही मानी इस प्रकार आवेदक अपने पूर्व आदेश दिनांक 29/1/19 के पूर्वतया विबन्धीत है। मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से गलत आवेदन पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि–पटवार हल्का बागौरा में जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 में खसरा नं0 261 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा जो मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड़ तथा पहाड़िया दर्ज थी। जिसमें से राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेश दिनांक 06 फरवरी,1958 एवं राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या 1 (6) (19) 197 राज 18/73 दिनांक 21.06.1973 से खसरा नंबर पुराना 261 जुज रकबा 41 बीघा 11 विस्वा वन विभाग के नाम गजट नोटिफाइड हुई। इसके बाद सम्वत 2035 से 2044 के दौरान भू–प्रबंध बंदोबस्त की कार्यवही चलकर पुराने खसरा नंबर के जो नये खसरा नंबर 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर आवटित किये गये। उक्त नये रकबे में भी पुराने खसरा नंबर 262 मी. 259 मी. 260 मी. का हिस्सा है। खसरा नंबर 215, 218 व 219 सम्मिलित है। जो कि गजट नोटीफाइड भूमि में स्थित है व सीमा स्तम्भ लगे हुये हैं। ग्राम बागोरा की भूमि खसरा नंबर पुराना 261 रकबा 42 बीघा 19 विस्वा किस्म पहाड़ तथा पहाड़िया सम्वत 2029 से 2032 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसका स्वामित्व वास्तविक रूप से राजस्थान सरकार के पास रहा है। सम्वत 2033 से 2036 की जमाबंदी में खसरा 261 मी. बनाया जाकर भूमि का प्रकार बारानी द्वितीय किया जाकर 15 बीघा भूमि श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा को आवंटित की गई। उसके बाद नये सैटलमेंट द्वारा बनाई गई मिसल के आधार बनी आधार चौसाला जमाबंदी सम्वत 2045 में खसरा नंबर नया 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर बानी दोयम दर्ज की गई है। जो कि पुराने खसरा नंबर 261 का हिस्सा है। जिसमें खातेदरी श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ

48

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा के नाम दर्ज हो गई जो गलत दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन लिपिकीय गलती होने से उपरोक्त भूमि श्री हजारीलाल पुत्र मोहनलाल उर्फ चन्द्रभान कोम स्वामी साकिन बागोरा के नाम दर्ज हो गई। खसरा नंबर 1293/364 का 3.55 हैक्टर भूमि गत खसरा नंबर 261 जुज को अधिसूचित वन भूमि का है। गत व वर्तमान शीट का एनेक्जर संलग्न है। तदोपरान्त नामांतरण संख 345 दिनांक 16 जनवरी 2008 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार जाति स्वामी निवासी बबाई के नाम से स्वीकार हुई जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरण संख्या 396 दिनांक 26 नवम्बर 2010 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा श्री कुबेर सिंह पुत्र नत्थू सिंह कोम राजपूत साकिन उदयपुरवाटी के नाम से नामांतरण स्वीकार हुआ जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरण संख्या 453 दिनांक 05 नवम्बर 2011 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा मेजर नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री श्यामसिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह जाति राजपूत वैशाली नगर जयपुर के नाम से स्वीकार हुआ जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 592 दिनांक 12 सितम्बर 2013 को हुये विक्रय पत्र के द्वारा श्री चोथमल पुत्र मटरूमल जाति माली साकिन आस–पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड सीकर के नाम दर्ज हुई जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज रिकार्ड होकर वर्तमान तक बदस्तूर है। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार निर्देश जारी किये हैं कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी अधि सूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आवंटन /रूपान्तरण करें जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। राज्य परिपत्र दिनांक 23 मई 2012 से ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी के विवादित खसरा नंबर 1293/364 के संबंध में स्पष्ट किया है कि अवैध आवेदन के आधार पर प्रदत्त खातेदारी जो वर्जित श्रेणी की भूमि पर प्रदान की गई है, को निरस्त करावे। उक्त प्रकरण में भूमि खसरा नंबर 293/364 की 3.80 हैक्टर भूमि किस्म गैर मु0 पहाड़ कृषि भूमि आवंटित की गई है, जो भूमि वर्जित श्रेणी की वन भूमि है तथा अधिसूचित भी है। इसका 3.55 हैक्टर भाग अधिसूचित रक्षित वन भूमि है। वन्य जीव सुरक्षा अधि0 1972 जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11014/3172 एफआरवाई/डब्ल्यू एल.एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान सरकार पर लागू है। राजस्थान सरकार द्वारा कमांक प. 3 (16) वन/2009 दिनांक 9 फरवरी 2012 से उक्त क्षेत्र को रिजर्व घोषित किया जा चुका है। आवंटन कमेटी ने बात

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

विचार–विमर्श कर निर्णय किया है कि उपरोक्त भूमि उपलब्ध भूमि उक्त प्रार्थीयों को निम्न प्रकार आवंटन कर दी जावे। आवंटन आदेश गैर मुम0 भूमि की किस्म बदलने के प्श्चात व जंगलात की भूमि जंगलात नियमों से मुक्त कर दिये जाने के प्श्चात जारी करने की सिफारीश की जानी थी। जो कि आवंटन की मुख्य थी जिसकी पालना नहीं की गई,ये आवंटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। आवंटन आदेश के विरूद्ध कार्यवाही के लिये मियाद लागू नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि यह राजस्व रिकार्ड में उसके नाम भूमि दर्ज है, इसलिए इस पर कब्जा करके कास्त करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के लिये रोक लगायी है। यदि वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हैं तो केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.1996 एवं वन संरक्षण अधि0 1980 की प्रति संलग्न है। इसी तरह के प्रकरण में माननीय हरित प्राधिकरण Central Zonal Bench Bhopal के ओ.ए. संख्या 131/2014 रामस्वरूप यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.02.2015 को निर्णय दिया गया । इस निर्णय के अनुसार वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन होने के पश्चात वन अधि 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) के तहत डीनोटिफिकेशन की कार्यवाही आवश्यक है। उपरोक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किये गये आवंटन में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) की प्रकिया का पालन नहीं की गई । राजस्व अधिकारियों द्वारा वन भूमि का आवंटन करना एवं औधोगिक प्रयोजनार्थ कनवर्जन करना माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 वन्य जीव अधि 1972 एवं वन संरक्षण अधि 1980 का उल्लंघन एवं आपराधिक कृत्य है। झुंझुनू जिल की भूमि बीड़ झुंझुनू के संबंध में जिला कलेक्टर झुंझुनू के द्वारा एक बार वन भूमि को आवंटन करने के पश्चात दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करना गलत माना है और अपने निर्णय दिनांक 30.5.2002 में वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। इसी प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 28.2.2006 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। ऐसे ही प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 24.2.2011 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। अतः ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के मूल खसरा नंबर 261 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा गैर मु0 पहाड़ में से नये खसरा नंबर 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर में से 3.55 हैक्टर अधिसूचित रक्षित वन भूमि में

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

किये गये आवंटन आदेश एवं उसके प्श्चात किये गये अन्य राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज को निरस्त कर दुरूस्त कर वन विभाग की टेनेन्सी में दर्ज करना फरमावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि–

अप्रार्थी चोथमल की ओर से श्री मनोहरलाल सैनी, एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा जाहिर किया कि – भूमि पुराना खसरा नं0 261 रकबा 15 बीघा थे जिसके पश्चातवृति प्रकरम पर उक्त भूमि के खसरा नं0 1293 रकबा 3.80 हैक्टर का खातेदार काश्तकार हजारी लाल पुत्र मोहन लाल है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिये गये जो राजस्व रिकार्ड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद का है। उक्त कानून के अनुसार जो खातेदार उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय भूमि काश्त करता था वह उक्त भूमि का स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। कानूनन रिकार्डेड काश्तकार खातेदार को उसकी भूमि से प्राप्त होने वाले लाभो से वंचित नही किया जा सकता आवेदक वन विभाग की ओर से बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये तथा बिना इस बात की जानकारी किये कि उक्त भूमि के पूर्व से कौन कौन काश्तकार खातेदार रहे है। तथा किस प्रकार उक्त भूमि का अन्तरण हुआ है। पूर्णतया अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर वर्तमान आवेदन पत्र पेश किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुँझुनूँ द्वारा नोटिस के सलग्न एनेक्सर – 1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को कानूनी प्रकिया अपनाते हुये आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किये जाने से पूर्व तथा आवेदक के अधिकार में आने से पूर्व ही आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियो को आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवटंन किये जाने के कारण अब उक्त भूमि के आवटन को निरस्त करवाने का आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त भूमि खसरा नं0 261 को शुरू से ही उसके

खातेदार हजारी लाल पुत्र मोहन लाल व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर उक्त हजारी लाल पुत्र मोहन लाल का कब्जा काश्त ही चला आ रहा था तथा उनसे पूर्व उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था उक्त भूमि कभी गै0 मु0 पहाड़ की भूमि नही रही है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। उपरोक्तानुसार उक्त भूमि का इन्तकाल भूमिहीन हजारी लाल पुत्र मोहन लाल के नाम हुआ है तथा पश्चातवृति राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि खसरा नं0 1293/364 हजारी लाल पुत्र मोहन लाल के दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2062 से सम्वत् 2065 तक है। उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्तकाल नं0 345 दिनांक 16/1/08 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार निवासी बबाई के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। हजारी लाल ने उक्त भूमि सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार को दिनांक 30/6/06 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 30/6/06 को लिखवाकर उसका पंजियन दिनांक 30/6/06 को उपपजियक उदयपुरवाटी के यहा करवा दिया। कानूनन भी किसी विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की मियाद 3 वर्ष की होती है। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 30/6/06 को निष्पादित हुये अर्सा करीब 13 वर्ष हो गया है इतने लम्बी अवधी के बाद भी उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 396 दिनांक 26/11/10 को उक्त भूमि कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह कोम राजपुत निवासी उदयपुरवाटी के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। जिसका विक्रय पत्र दिनांकित 1/1/10 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहा तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 453 दिनांक 5/11/11 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह, जाति राजपुत निवासी वैशाली नगर जयपुर के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में बा–3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 592 दिनांक 12/09/13 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में उक्त भूमि चौथमल पुत्र मटरूमल के नाम दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर का भूमि वर्गीकरण में औद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्थित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। इसके अलावा उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समरिवर्तन आदेश दिनांक 23/9/16 के तहत चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर के नाम आद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन केसर हेतु) हुआ है। उक्त समरिवर्तन आदेश दिनांक 23/9/16 के विरूध कोई भी अपील वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक वनविभाग की ओर से आज तक नही की गई है। समरिवर्तन आदेश दिनांक 24/7/1992 के विरूध अपील न करने की स्थिति में आवेदक का वर्तमान आवेदन पत्र किसी प्रकार से पौषणीय नही है। इसके अलावा तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा किया गया और उक्त भूमि का सीमाकंन खातेदारान की मौजूदगी में व वनविभाग के अधिकारी व वन विभाग के हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया और उक्त भूमि को वन विभाग की नही माना गया।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

इसके अलावा बाद में सहायक वन सरक्षक झुझुनूँ द्वारा दिनांक 13/11/18 को एक नोटिस अनावेदक को जारी किया गया जिसमें गलत तौर से उक्त भूमि को वन भूमि होना बताकर अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया जिसका प्रयाप्त समुचित जबाब मय दस्तावेज के दिया गया जिससे संतुष्ट होकर व मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग झुँझुनूँ द्वारा उक्त भूमि को अपने आदेश दिनांक 24/1/19 के तहत वन विभाग की नही माना जिसके विरूद्ध भी वर्तमान आवेदक ने कोई अपील नही की इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक को वर्तमान आवेदन पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उक्त भूमि पुराने समय से ही इसके खातेदार व काश्तकारान के कब्जे में रही है तथा वन विभाग का कभी कोई कब्जा नही रहा है। पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि विक्रय, अनतरित हस्तान्तरति व समपरिर्वतित हुई जिसके विरूध भी कोई भी अपील या चाराजोही वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक द्वारा कभी नही की गई तथा उक्त आवंटन के विरूध भी अन्दर मियाद कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा नही की गई है। स्वयं आवेदक ने जो पूर्व में 91 का नोटिस अनावेदक को दिया था जिसका निस्तारण करते हुये उन्होने उक्त भूमि वन विभाग की नही मानी इस प्रकार आवेदक अपने पूर्व आदेश दिनांक 29/1/19 के पूर्वतया विबन्धीत है। मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से गलत आवेदन पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी नंबर–2 राजस्थान सरकार ने कथन किया कि उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड कभी वन विभाग के नाम से दर्ज नहीं हुई और ना ही वन विभाग का कभी इस भूमि पर कब्जा रहा जिसके कारण समय–समय पर भूमि का स्थानान्तरण एवं किस्म परिवर्तन होती रही है। विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा विवादि भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। अब इतने समय बाद उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने का

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। विवादित भूमि काफी समय पूर्व ही गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। किसी खातेदार की खातेदारी प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र भी करीब 45 वर्ष बाद काफी देरी से प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी एवं विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049, सम्वत् 2050 से 2053 एवं सम्वत् 2054 से सम्वत 2057 जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061के अवलोकन से विवादित भूमि पुराना खसरा नं0 261 रकबा 15 बीघा जिसके नया खसरा नं0 1293 रकबा 3.80 हैक्टर का खातेदारी हजारी लाल पुत्र मोहन लाल जाति स्वामी साकिन बागोरा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुँझुनू द्वारा नोटिस के सलग्न एनेक्सर – 1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को ही विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किये जाने से पूर्व तथा आवेदक वन विभाग के अधिकार में आने से पूर्व ही आंवटन कमेटी द्वारा भूमिहीन व्यक्तियो को विवादित भूमि आंवटित की जा चुकी थी। आवेदक वन विभाग की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादित का राजस्व रिकार्ड कभी वन विभाग के नाम रहा हो और उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा हो। राजस्व रिकार्ड में शुरू से लेकर वर्तमान तक विवादित भूमि के संबंध में वन विभाग के नाम से कोई अंकन नहीं है। राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि आवंटन के बाद विवादित भूमि का नामांतरकरण हजारी लाल पुत्र मोहन लाल के नाम दर्ज हुआ है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 तक में है। उसके बाद विवादित भूमि जरिये नामांतरण संख्या 345 दिनांक 16/1/08 को उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार निवासी बबाई के नाम से

48
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि सुनिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार के नाम दर्ज है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 396 दिनांक 26/11/10 कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह कोम राजपुत निवासी उदयपुरवाटी के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि कुबेर सिंह पुत्र नत्थु सिंह के नाम दर्ज है। इसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 453 दिनांक 5/11/11 को जरिये विक्रय पत्र मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह, जाति राजपुत निवासी वैशाली नगर जयपुर के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में उक्त भूमि मेजर नरपत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, विष्णुसिंह पुत्र मेजर नरपत सिंह के नाम दर्ज है। उसके बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 592 दिनांक 12/09/13 को जरिये विक्रय पत्र चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर के नाम से दर्ज होने का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में उक्त भूमि चौथमल पुत्र मटरूमल के नाम दर्ज है। उसके बाद राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 1293/364 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि औद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। उक्त विक्रय पत्रो को निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक वन विभाग द्वारा नही किया है।

इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में शुरू से लेकर वर्तमान तक विवादित भूमि के संबंध में वन विभाग के नाम से कोई अंकन नहीं है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुंझुनू द्वारा सलग्न एनेक्सर –1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को आवटंन कमेटी द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को वर्ष 31.12.1970 से पूर्व का कब्जा मानते हुये आवंटित हो चुकी थी। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि वन विभाग के अधिकार में आने से पूर्व ही आवंटित हो चुकी थी। उसके बाद भूमि कई बार विक्रय होकर कई व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होती रही है। उसके बाद उक्त भूमि का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समरिवर्तन आदेश

18
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दिनांक 23/9/16 के द्वारा चौथमल पुत्र मटरूमल, जाति माली निवासी आस पास कार्यालय के सामने जयपुर रोड़ सीकर के नाम आद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन केसर हेतु) हुआ है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा खातेदारान की मौजूदगी व वनविभाग के अधिकारी एंव हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया। सहायक वन सरक्षक झुझुनू द्वारा प्रकरण संख्या– 21/18 में दिनांक 13/11/18 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत एक नोटिस अप्रार्थी के नाम से जारी किया जिसका जवाब प्रस्तुत होने पर न्यायालय सहायक वन सरक्षक झुझुनू द्वारा संतुष्ट होने पर आदेश दिनांक 29/1/19 के द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही निरस्त की गई है। आवेदक वन विभाग द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 का हवाला देकर वन अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आवंटन/रूपान्तरण करने का उल्लेख किया गया है। परिपत्र 29 फरवरी 2012 का है जब कि विवादित भूमि का अवांटन 31.1.1972 को ही हो चुका था।

इस प्रकार विवादित भूमि की उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी 1973 में रक्षित वन भूमि घोषित थी, जब कि इससे पूर्व ही दिनांक 31.1.1972 को इसका नियमानुसार आवंटन हो चुका था। ऐसी सूरत में उपरोक्त भूमि को रक्षित वन भूमि का भाग नहीं माना जा सकता । नियमन कमेटी ने 1970 से पूर्व का काबिज भूमिहीन व्यक्तियों का कब्जा काश्त मानकर नियमन किया है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित करने से पूर्व कब्जे के संबंध में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वन विभाग विवादित भूमि को वन रक्षित भूमि होने का कथन करता है, परन्तु अब तक इतने वर्षों के दौरान राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के नाम दर्ज नहीं हुई है। तथा भूमि का बार–बार स्थानान्तरण होने व किस्म परिवर्तन होने तक पटवारी हल्का द्वारा कब्जा इत्यादि की जांच करने एवं स्थानान्तरण होने पर केता पक्ष के हक में नामांतरकरण दर्ज करने एवं बेचाननामा तथा संपरिवर्तित आदेश में कब्जे का आदान–प्रदान होने तथा भौतिक रूप से केता /विकेता/खातेदार का कब्जा होना यह साबित करता है कि विवादित भूमि पर आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी का कभी भी

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

भौतिक कब्जा नहीं रहा है। आवेदक के कथनों को सही भी माना जावे तो उस सूरत में भी आवेदक ने युक्तियुक्त व तर्कसंगत समय में आवेदन'–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में इस संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया कि वे 47 वर्ष तक कहां थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक काबिज व्यक्ति को संक्षिप्त प्रकिया समरी ट्रायल के माध्यम से उसके हक अधिकार नहीं छीने जा सकते। इस प्रकार आवेदक ने प्रार्थना पत्र भी युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि को वन विभाग अपने स्वामित्व में रक्षित भूमि घोषित करवाना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों का निर्धारण करवाने के लिये स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्य अलाटमेंट आफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू